



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 सितम्बर, 2025
भाद्रपद 13, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या 16/2025/1076/94-2-2025-700(96)-2023 टी0सी0

लखनऊ, 4 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प0आ0-151

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 78-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे सारणी के स्तम्भ-1 में उल्लिखित प्रकृति के विभाजन विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क में छूट प्रदान करते हैं और उक्त सारणी के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिकतम रजिस्ट्रीकरण शुल्क नियत करते हैं:-

सारणी

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
लिखत का विवरण	अधिकतम रजिस्ट्रीकरण शुल्क
अनधिक तीन पीढ़ी के पारम्परिक वंशजों के मध्य पैतृक अचल संपत्ति के विभाजन से सम्बंधित विभाजन विलेख।	रु0 5000/-

परन्तु यह कि,—

1— यह छूट केवल उन विभाजन विलेखों पर ही उपलब्ध होगी जिसमें परिवार के सदस्यों के मध्य पैतृक अचल संपत्ति का बंटवारा, विद्यमान उत्तराधिकार विधियों द्वारा वंशजों को संपत्ति—हस्तांतरण के अनुसार किया गया हो।

2— पैतृक संबंध स्थापित करने हेतु पक्षकारों को उपर्युक्त तीन पीढ़ियों का उल्लेख करते हुए विलेख में एक पारिवारिक वंशावली प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3— यह छूट केवल वास्तविक व्यक्तियों की सम्पत्तियों के विभाजन पर उपलब्ध रहेगी। कल्पित व्यक्तियों यथा फर्म, सोसायटी, ट्रस्ट व कंपनी आदि के स्वामित्वाधीन सम्पत्तियों पर कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।

4— यह छूट केवल कृषि, आवासीय या वाणिज्यिक सम्पत्तियों के विभाजन पर उपलब्ध होगी। अन्य प्रकृति की सम्पत्तियों यथा औद्योगिक, संस्थागत सम्पत्ति पर यह छूट उपलब्ध नहीं होगी।

आज्ञा से,
अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 16/2025/1076/ XCIV-2-2025-700(96)-2023 T.C., dated September 4, 2025 :

No. 16/2025/1076/XCIV-2-2025-700(96)-2023 T.C.

Dated Lucknow, September 4, 2025

IN exercise of the powers conferred by Section 78-A of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908), as amended in its application to the State of Uttar Pradesh, *read* with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, is pleased to exempt the registration fee chargeable on partition deeds of the nature mentioned in Column-1 of the Table below, and fixes the maximum registration fee mentioned in Column-2 of the said Table :-

TABLE

Column-1	Column-2
Description of the Instrument	Maximum Registration Fee
A partition deed related to the partition of ancestral immovable property among lineal descendants of not more than three generations.	Rs. 5000/-

Provided that,-

1. This remission shall be available only on partition deeds wherein the share of ancestral immovable property among family members is as per devolution upon the descendants by extant succession laws.

2. It shall be mandatory for the parties to present a family tree in the deed mentioning above three generations to establish the ancestral linkage.

3. This exemption shall be available only on division of properties of real persons. No exemption shall be available on properties owned by fictitious persons like Firms, Society, Trust, Company, *etc.*

4. This exemption shall be available only on the division of agriculture, residential or commercial properties.

No exemption shall be available on other nature of properties such as industrial, institutional property.

By order,
AMIT GUPTA,
Pramukh Sachiv.